



# सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 19.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना खेसरहा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष थाना खेसरहा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 19.07.2025 को वारण्ट संख्या 1489/17 धारा 332,323,504,427 IPC सम्बन्धित वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**वारण्टी का विवरण-**

01.सूरज पाठक पुत्र रामप्रगट निवासी कोटिया पाण्डेय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01.उ०नि० नन्दलाल यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.हे०का०- विनोद चौहान थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.का० रिकेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 19.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में बृजेश सिंह थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के नेतृत्व में वारन्ट एसटी नं० 17733 /23 धारा 323/504/506/341/419/420 भा०द०वि० से सम्बंधित वारण्टी को आज दिनांक 19.07.2025 को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### वारण्टी का विवरण-

01.वारन्टी रेखा पत्नी धर्मराज निवासी बर्डपुर नं० 09 टोला कटया थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ०नि० सदरुल आलमीन थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.आरक्षी जितेन्द्र यादव थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.म०का० नन्दनी राना थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 19.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा दहेज हत्या की आरोपी वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहतगढ के कुशल पर्यवेक्षण व अभय सिंह थानाध्यक्ष कठेला समय माता के नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.2025 को 01 नफर अभियुक्ता को मु०अ०सं० 110/25 अन्तर्गत धारा 85/108 बीएनएस व ¾ डीपीएक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01.फूलमती पत्नी हृदयराम चौहान निवासी औरहवा टोला बडुईया थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ०नि० ऋषिदेव प्रसाद थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.हे०का० रविन्द्र कुमार गौतम थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.म०का० ज्योति पाण्डेय थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 19.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को 20 दिवस का साधारण कारावास व ₹ 400/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 19-07-2025 को वाद संख्या 82/1995 मु०अ०सं० 139/1994 धारा- 379,411 भादवि० मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री शिवेन्द्र शर्मा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जेएम कक्ष सं० 2 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01.अत्री प्रसाद उर्फ वहाऊ पुत्र जगनरायन निवासी बढया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को 20 दिवस का साधारण कारावास व ₹ 400/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनूप कुमार थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा ।

## प्रेस नोट दिनांक 19.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ यातायात पुलिस द्वारा श्रावण मास मे कावड़ यात्रा के दृष्टिगत रूट डायवर्जन, बैरियर चेकिंग ड्यूटी मे लगे कर्मचारियो की ब्रीफिंग एवं सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की गयी ।

आज दिनांक 19.07.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे,अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात अरुणकांत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा श्रावण मास-शिवरात्रि/कावड़ यात्रा के दृष्टिगत रूट डायवर्जन/बैरियर चेकिंग ड्यूटी पुलिस बूथ/माधव तिराहा(थाना-बाँसी), लोहरौली बॉर्डर(थाना-शिवनगर डिडई), बेवा/बैदौला तिराहा (थाना-डुमरियागंज)पर लगे सभी अधि०/कर्मचारीगण को ड्यूटी के संबंध मे ब्रीफ करते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा प्राप्त आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया एवं प्रत्येक दशा मे वाहन चालकों से सहयोगात्मक एवं विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने हेतु निर्देशित करते हुए बैरियर/फ्लैक्सि बोर्ड लगाकर रूट डायवर्जन कराया गया तथा माधव तिराहा, बाँसी मार्किट,लोहरौली बॉर्डर ,डिडई, डुमरियागंज आदि स्थानों पर पी०ए० सिस्टम से आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा बाँसी कस्बे मे अवैध अतिक्रमण हटवाया गया साथ ही सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M. V. Act. मे चालान कर हटवाया गया एवं दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना,गलत दिशा मे वाहन चलाना,बिना D.L. के वाहन चलाने समेत कुल 54 वाहनों का चालान करते हुए ₹67,500 रुपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके ।